हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2022

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

महानिदेशक पुलिस राजस्थान का पत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को निरस्त किया जाये: समता आन्दोलन

किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पद पर पदोन्नति देना न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है भारतीय दण्डसंहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं गृह सचिव को पत्र लिखकर महानिदेशक पुलिस राजस्थान के पत्र क्रमांक प.3(1)पु.फोर्स/पदो. अनु-15/2022/2272 दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को निरस्त करवाने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में लिखा गया है कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पद पर पदोन्नति देना न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है भारतीय दण्डसंहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के कार्यालय से जारी उपरोक्त परिपत्र क्रमांक क्रमांक प.3(1)पु.फोर्स/पदो. अनु-15/2022/2272 दिनांक 12 दिसम्बर 2022 पुरी तरह अविधिक, असंवैधानिक और सामान्य/ओबीसी वर्ग के निष्ठावान पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के साथ अन्याय और अत्याचार है। आप यह भी जानते है कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर किसी भी सेवा-संवर्ग में चयनित होने वाले या पदोन्नति पाने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है, संवैधानिक प्रवधानों का उल्लंघन है, ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के पात्र एवं कर्मठ लोकसेवकों के साथ अन्याय है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार के कुछ अधिकारी अविधिक बाह्य कारणों से प्रेरित होकर पात्र एवं योग्य ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियां रोककर उनके पदों पर अपात्र एवं अयोग्य अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियां कर रहे हैं। सामान्य लोक-प्रशासन में भ्रष्टाचार, अत्याचार, जातिवाद, एवं अकार्यकुशलता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जातिवादी राजनिति करने वाले अजा/अजजा कार्मिक नेताओं द्वारा जातिगत वोटों का भय दिखाकर प्रदेश के राजनेताओं को और उनके मार्फत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भेड़-बकरियों की तरह हांका जा रहा है।

महानिदेशक पुलिस राजस्थान के पत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2022 में दिशा निर्देश जारी किये गये है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के संबंध में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का अभ्यांश क्रमश: 16 एवं 12 प्रतिशत पूर्ण है एवं उक्त वर्ग का कोई पात्र अभ्यार्थी वर्तमान में वरिष्ठ होने के साथ ही (Own Seniority) अर्थात सेवा में प्रवेश (सीधी भर्ती) के समय की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित (सामान्य) वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जावेगा, जिसे आगामी वर्षो की आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में समायोजित कर लिया जावेगा। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के कनिष्ठ अभ्यार्थी के चयन होने की स्थिति में ही आरक्षित वर्ग का अभ्यार्थी सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध चयन होगा। सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा नहीं।

पांच पृष्ठ के पत्र में विभिन्न न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यात्मक विवरणों का हवाला देते हुये प्रार्थना की गई है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक क्रमांक प.3(1)पु.फोर्स/पदो. अनु-15/2022/2272 दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को तत्काल निरस्त करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के निष्ठावान, कर्मठ पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को न्याय दिलवाये। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नति को सख्ती से रोका जाये। उपरोक्त प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाया जाये। जो अजा/अजजा के कार्मिक सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिए उपरोक्त प्रवधानों का उल्लन्घन करते हुए किसी भी प्रकार प्रयास करते हैं, विधायकों/मंत्रियों/अधिकारियों पर जातिगत दबाव बनाते हैं, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। उनकी नियुक्ति के समय अजा/अजजा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उन्हें अविधिक रूप से आरक्षण का लाभ देकर नियुक्त किये जाने के कारण इनकी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जावे।

कर्मठ एवं समर्पित ओबीसी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों के साथ लगातार अन्याय जारी है।

आपसे प्रर्थना है कि आप अपने स्तर पर संज्ञान लेकर सामान्य/ओबीसी कार्मिकों को तत्काल न्याय दिलवाने की कृपा करें। यदि आप जातिवादी पुलिस कर्मियों/अधिकारियों या राजनेताओं के दबाव में आकर उपरोक्त अन्यायपूर्ण परिपत्र को सात दिवस में निरस्त नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। जिसके सम्पूर्ण खर्चे/हर्जे की जिम्मेवारी आपकी होगी।

याचिका संख्या 02/2018 के शीघ्र निस्तारण हेतु मुख्य न्यायाधीश को पत्र

वंचित दलितों की सहायतार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर किया जाऐ : समता आन्दोलन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

जयपुर। समता आन्दोलन समिति के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर याचिका संख्या 02/2018 का शीघ्र निस्तारण कर वंचित दलितों की सहायतार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर किये जाने का अनुरोध किया है।

पत्र में लिखा गया है कि पिछले 70 वर्षों में सम्पूर्ण आरक्षण व्यवस्था और अरबों रूपये की सरकारी सहायता का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में केवल 4-5 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही पीढी-दर-पीढी उठाया जा रहा है। अजा/अजजा वर्ग के लगभग 95 प्रतिशत परिवार आज भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, पिछड़े हुये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लगातार चार संविधान पीठों द्वारा (एम.नागराज बनाम भारत सरकार, रोहिताश भाँखर बनाम भारत सरकार, जरनैल सिंह बनाम भारत सरकार एवं चैम्बरूलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश) निर्णय दिया जा चुका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर किया जाए ताकि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ सुपात्र दलितों और पिछड़ों तक पहुंच सके। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त संविधान पीठों के निर्णयों की पालना करने का साहस नहीं किया गया है।

समता आन्दोलन के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन सिविल याचिका संख्या 02/2018 दायर की हुई है जिसमें नोटिस जारी किये हुये हैं। एम. नागराज के प्रकरण में संविधान पीठ के दिये गये निर्णय के वर्ष 2006 से अब तक 16 वर्षों में लाखों की संख्या में सुपात्र दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभों को सम्पन्न अपात्र लोगों द्वारा लगातार हड़पा जा रहा हैं।

अत: याचिका संख्या 02/2018 को तत्काल निर्णित करवा कर सम्पन्न और अगड़े लोगों को अजा/अजजा वर्ग से बाहर करके पूरे देश और प्रदेशों के करोड़ों वंचित दलितों को न्याय दिलवाऐं।

104वें संविधान संशोधन अधिनियम को निरस्त किया जावें: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढाये जाने वाले संसद द्वारा पारित 104वें संविधान संशोधन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है कि यह अविधिक एवं असंवैधानिक है तथा राष्ट्र के मतदाताओं के साथ धोखा है। सम्पूर्ण पत्र अन्तिम पृष्ठ 4 पर दिया गया है।

अध्यक्ष की कलम से

''अपरिमित न्याय !!!''

साथियों,

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने एक समारोह में प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने देश की जेलों में बंद लाखों कैदियों के बारे में न्याय का मुददा उठाकर एक तरफ जहाँ मानवता का समर्थन किया वहीं देश की न्याय व्यवस्था को उसकी सक्रियता याद दिलाई है। यह घटना अभूतपूर्व है।

दूसरी तरफ कालेजियम सिस्टम को लेकर केन्द्र सरकार, विधी मंत्रालय, उपराष्ट्रपति ने अपने अपने तरीके से जो बयान दिये हैं उससे देश की जनता हतप्रभ है। यह तो मान्य तथ्य है कि देश की सभी अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लम्बित हैं। न्याय प्रक्रिया बेहद जटिल और तकनीकी होने के कारण के अलावा भी क्या कोई ऐसा कारण है जो मुकदमों की संख्या कम नहीं होने दे रहा है।

जाति आरक्षण की दृष्टि से देखें तो केन्द्र सरकार ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसके अनुसार देश में ''अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा'' की मांग की गई थी। हालांकि कथित दलित न्यायाधीशों को जब तब जातीय बाड़ों में देखने/दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन लोकतंत्र और संविधान रक्षक के रूप में स्वतंत्र न्याय प्रणाली का महत्व नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ''स्वतंत्र'' की परिभाषा में अपरिमित अधिकार नहीं होने चाहिये।

समता आन्दोलन की जारी उपलब्धियाँ अदालतों के माध्यम से ही प्राप्त हुई हैं। फिर भी हमारा मानना है और अनुभव है कि हमें कई बार न्यायिक अपरिमित अधिकारों का अनुभव सहन करना पड़ा है। इसलिये हम राष्ट्रपति जी के कथन पर सम्मान और आशा प्रकट करते हैं।

जय समता

सम्पादकीय

''अब बहुत जरूरी है-आरक्षित सीटों पर समन्वय हो''

देश बेचैन है। अपने संवैधानिक जन्म से लेकर आज तक के जीवन में सर्वाधिक बेचैन है। अपने पिछड़ेपन की तुलना में आज के कथित विकास में अधिक बेचैन है। ऊपर से सब ठीक दिखे भीतर से बंटादार। सोचने समझने वाले किसी अनिष्ट की आशंका से चारों तरफ देखते हैं। जहाँ-जहाँ से सुकून की छाया मिलनी चाहिए थी वहाँ-वहाँ कांटे बिछे होने का आभास है।

सरकारों ने, पार्टियों ने वैसा करना शुरू कर दिया है जैसा मीडिया चाहता है। अखबार भी अब संपादक की दृष्टि से नहीं बल्कि सेठ की दृष्टि से निकल रहे हैं। कह नहीं सकते ये सबकुछ काल का संक्रमण है या किसी बड़ी बीमारी जैसा संक्रमण?

दुनियाभर में शासक और शासन का स्वरूप डराने लगा है। एक नयी तरह की तानाशाही उभर रही है। रूस में पुतिन, दक्षिण कोरिया में किमजोंग, चीन में जिनपिंग स्वयं को चुना हुआ तानाशाह स्थापित कर चुके हैं। इनके अलावा जहाँ-जहाँ दो पार्टी शासन प्रक्रिया का अंग है वहाँ भी शासन का स्वरूप बदलता दिख रहा है। इस दृष्टि से भारत की बहुदलीय प्रणाली अभी किसी हद तक लोकतंत्र को बचाए रखने में सफल होती प्रतीत हो रही है।

लेकिन भारत की शासन पद्धति एक नये और भयावह दौर की तरफ बढती प्रतीत होती है। यह दौर है जातीय समन्वय के प्रयास की असफलता का दौर। भारत के अन्दरूनी हालातों पर काल्पनिक और भावुक दृष्टिकोण अपनाकर जो जातीय आरक्षण पिछडापन दूर करने के नाम पर 1950 से 1960 के दशक तक स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन उसके बाद वो ऐसा रक्तबीज बनता गया जिसका वध किसी के वश में नहीं रह गया है। विशेषकर कलियुग में तो किसी भी तरह संभव नहीं है।

हालांकि 1991 के आते-आते पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन और ओपन इकॉनामी का जो दौर शुरू हुआ उसकी आड़ लेकर भारत के नीति निर्धारकों ने जातीय आरक्षण के दैत्य को नियंत्रित करने के लिये सरकारी तंत्र में कर्मचारियों के बोझ को कम करके तंत्र को जाम होने से बचाने के लिये जो प्रयास किये उसमें बेशक केन्द्र में एक करोड कर्मचारी घटकर आज मात्र चालीस लाख रह गये हैं। लेकिन इससे एक भयावह स्थिति बनने लगी है। और वो है बिना तंत्र का लोकतंत्र।

सभी जानते हैं कि 130 करोड़ लोगों के लोकतंत्र को पंगु तंत्र से नहीं चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ आरक्षण का रक्तबीज दैत्य भी मारा या हराया नहीं जा सकता है तो क्यों न पुन: अपनी गलती को सुधार लिया जावे। संवैधानिक तथ्य है कि देश के पहले 1951-1952 के आम चुनावों में आरक्षित सीटों पर दो प्रत्याशी (एक सामान्य दूसरा आरक्षित) प्रत्याशी विजयी होते थे। 1957 में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया।

यह तथ्य है कि महात्मा गांधी कथित दलितों के लिये सीट आरक्षण के विरोधी थे। इसी के चलते रियासतकालीन चुनावों में आरक्षित सीट पर दोनों प्रत्याशी जीतते थे। इस संवैधानिक व्यवस्था को फिर से लागू करके देश में जातीय समरसता को पुन: कायम किया जा सकता है। अन्यथा बिहार और दिल्ली (जे एन यू) से जो संदेश आये हैं वे मन-प्राण को आतंकित करते हैं। ईश्वर भारत की रक्षा करें।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

कोटा-सिस्टम पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है

भारत और अमेरिका की सर्वोच्च अदालतों ने अपने-अपने देशों में ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर रचने के लिए वैसी नीतियों और कार्यक्रमों को बदला है, जो भेदभाव को प्रोत्साहन देते थे। लेकिन दोनों के रवैयों में बहुत अंतर है। जहां अमेरिका की सर्वोच्च अदालत अफर्मेटिव एक्शन कहलाने वाले उलटे भेदभाव (रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन) को समाप्त करने जा रही है, वहीं भारत की सर्वोच्च अदालत दूसरी अति पर जाते हुए आरक्षण को और विस्तार देना चाहती है, जो कि उलटे-भेदभाव का भारतीय संस्करण है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 1978 के एक ऐतिहासिक फैसले में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए नस्ली कोटे को प्रतिबंधित कर दिया था। जबकि भारत में कोटा- सिस्टम प्रचलित परिपाटी है। हमारे यहां दाखिले और नौकरियों के लिए 22 प्रतिशत सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं, 29 प्रतिशत ओबीसी के लिए और 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। कोटा बढाने के लिए राज्यों के स्तर पर नई श्रेणियां जोडी जा रही हैं।

बीते अनेक वर्षों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अश्वेतों और हिस्पैनिकों का प्रतिनिधित्व बढाने के लिए अनेक उपाय किये हैं, जिनमें स्कॉलरशिप देने से लेकर दाखिले के लिए नस्ल को अनेक मानदंडों में से एक बनाना तक शामिल है। मौजूदा सर्वोच्च अदालत में नौ सदस्यों की कोर्ट में से छह जज कंजर्वेटिव हैं और बहुत संभव है कि वे कॉलेजों में दाखिले के लिए नस्लीयता के मानदंडों को नकार दें। दूसरी तरफ भारत की सर्वोच्च ने 1992 के अपने स्वयं के उस आदेश को हाल ही में उलट दिया, जिसमें कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया था। 2019 में भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देने का निर्णय न्यायालय ने लिया है। इसके बाद दाखिले और नौकरियों के लिए आरक्षण की सीमा बढकर लगभग 60 प्रतिशत हो गई थी। अनेक राज्यों में तो इससे भी अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षित श्रेणियों के लिए 80 प्रतिशत या उससे भी अधिक का कोटा है। तमिलनाडु में यह 69 प्रतिशत है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए हाल में घोषित 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है। उच्च जाति समूह अकसर शिकायत करते हैं कि इतने अधिक आरक्षण के बाद उनके सामने केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है- अवसरों की तलाश में राज्य को छोडकर कहीं और चले जाएं। विदेशों में बसे अनेक तमिल कहते हैं कि उन्हें आरक्षण प्रणाली के चलते देश छोडने पर विवश होना पडा। यह अनेक सवाल खडे करता है। क्या ऐतिहासिक- अन्यायों को दुरूस्त करने की हमारी कोशिशें देश को नुकसान पहुंचा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा दुरूस्त करने की कोशिश में हम विफ्ल साबित हो रहे हैं? जिस तरह से आरक्षण के कारण अनेक गुणवान युवा उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश चले गए हैं, कहीं स्थानीय कर्मचारियों को नौकरियों में आरक्षण देने से विदेशी निवेशक हतोत्साहित तो नहीं होंगे?

अमेरिका का उदाहरण हमारे लिए एक सबक है। वंचित समूहों के साथ ऐतिहासिक रूप से हुए भेदभाव की भरपाई के लिए नस्ल या जाति आधारित आरक्षण ही इकलौता समाधान नहीं हैं। विश्वविद्यालय दूसरे रास्ते भी अपना सकते हैं। जैसे कि दलित या गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना। याद रखें कि बीते छह दशकों में अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन ने आरक्षण के बिना भी हजारों अश्वेत और हिस्पैनिक विद्यार्थियों की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में प्रवेश पाने में मदद की है। इसी के चलते वे सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप पोजिशन में आ सके हैं। लेकिन भारत में किसी राजनीतिक दल में यह पूछने का साहस नहीं है कि आरक्षण कब खत्म होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि उसने अपने लक्ष्यों को अर्जित कर लिया है? जबकि एक अच्छी नीति वही है, जो अपना मूल्यांकन करती रहे।

नीरज कौशल
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

आरक्षण का अंधा कानून

संसद ने सर्वानुमति से आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। सदन मे उपस्थित 352 सदस्यों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस आरक्षण का विरोध करे। अब 10 साल के लिए नौकरशाही के पैर में बेडियां फिर से डाल दी गई है। 70 साल से चल रहे इस आरक्षण का मेरे जैसे लोगों ने 40-50 साल पहले तक डटकर समर्थन किया था। जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछडों को आरक्षण दिया, तब तक हम यह नारा लगाते रहे कि ''हम सबने बांधी गांठ। पिछडे पावे सौ में साठ।''

याने सरकारी नौकरियों में अनुसूचितों और पिछडों को जमकर आरक्षण दिया जाए ताकि उन पर सदियों से चलते रहे अत्याचार की हम कुछ हद तक भरपाई कर सकें। कई पार्टियों द्वारा आयोजित विशाल जन सभाओं को भी मैं उन दिनों संबोधित करता रहा लेकिन अब मैं यह अनुभव करता हूँ कि सरकारी नौकरियों में से आरक्षण एकदम खत्म किया जाना चाहिए।

संसद के सभी सदस्यों द्वारा चली गई यह भेडचाल बताती है कि हमारे सांसदों को कोई भी कानून बनाते समय जितनी अक्ल लगानी चाहिए, वे नहीं लगाते। यदि कुछ सांसद इस आरक्षण का विरोध करते तो क्या उन्हें संसद से निकाल दिया जाता? मैं तो समझता हूँ कि आरक्षित सीटों से जीते हुए सांसदों को इस आरक्षण का सबसे पहले विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह आरक्षण उनके वर्ग में 'मलाईदार परते' तैयार कर रहा है।

अनुसूचितों और पिछडों का यह मलाईदार वर्ग मुश्किल से 10 प्रतिशत भी नहीं है। इस वर्ग के लोग आरक्षित पदों पर पीढी दर पीढी कब्जा करते चले जा रहे हैं। जो सचमुच गरीब हैं, वंचित हैं, पिछडे हैं, असहाय हैं, निरूपाय हैं, वे अग भी वैसे ही हैं, जैसे सदियों पहले थे। उनके बच्चों को न पढने की सुविधा है, न ही उनकी सेहत की ठीक देखभाल हो पाती है और न ही समाज में उनकी समुचित प्रतिष्ठा है।

इसके अलावा जातिगत भेदभाव के बिना शिक्षा और चिकित्सा हर गरीब और वंचित परिवार को न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाये तो ये ही लोग आरक्षण की भीख से मिलने वाले पदों पर थूक देंगे। क्या उनका अपना स्वाभिमान नहीं है? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनुसूचितों और पिछडों को खुद आगे आना चाहिए। हमारे सारे नेता मजबूर हैं। वे वोट और नोट के गुलाम हैं। वे अनंतकाल तक जातिगत आरक्षण का समर्थन करते रहेंगे।

-डा0 वेद प्रताप वैदिक

पौराणिक कथन : 'भीष्मक'

विदर्भ देश का प्रतापी राजा और श्री कृष्ण की पत्नी रूक्मणी का पिता।

संविधान की न्याय पताका,
आरक्षण का धूम-धड़ाका।
सीधे-सच्चे लोगों हित पर-
चोर उचक्के मारें डाका।।

कविता

'सोच समझ आरक्षण देवो'

सोच समझ आरक्षण देवो,
कोई मना न करता है।
बिना योग्यता और विवेक,
कोई देश न आगे बढ़ता है।।

कब तक अस्तबलों में गर्दभ
दाल चने की खाएंगे।
कब तक अंधेरी नगरी में
चौपट राज चलाएंगे।।

दुर्योधन धृतराष्ट्र राज में
शकुनि चालें चलता है।
बिना योग्यता और विवेक कोई
देश न आगे बढ़ता है।।

सैनिक कायर निर्बल हो
तो युद्ध नहीं जीता जाता।
अफसर नहीं प्रत्युत्पन्नमति
तो देश गर्त में ही जाता।।

अपने पांव कुल्हाड़ी मारे,
क्या परिणाम निकलता है।
बिना योग्यता और विवेक,
कोई देश न आगे बढ़ता है।।

जातिगत आरक्षण विष है,
आमजनों को छलना है।
फणधारी विष उगले इसके
फण को शीघ्र कुचलना है।।

आरक्षण अजगर आए दिन
प्रतिभाओं को ड़सता है।
बिना योग्यता और विवेक,
कोई देश न आगे बढ़ता है।।

सत्ता लोलुपता है कारण
केवल चक्कर वोटों का।
समतावादी खड़े सब मौन,
यहां पर चयन हो रहा खोटों का।।

अपने हाथों आग लगा दे,
अपना घर ही जलता है।
बिना योग्यता और विवेक,
कोई देश न आगे बढ़ता है।।

सोच समझ आरक्षण देवो,
कोई मना न करता है।
बिना योग्यता और विवेक,
कोई देश न आगे बढ़ता है।।

आभार. वैद्य श्री भगवान सहाय पारीक

अटल और अनम्य

गतांग से आगे:

अजीब लगता है ? लेकिन बिहार जैसे राज्य में यही स्थिति है। इस योजना का एक और उतना ही अनिष्टकारी परिणाम देखने को मिल रहा है।

नौकरी एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जिसे प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करना पडे । नौकरी किसी का अधिकार नहीं बननी चाहिए ।

लेकिन आरक्षण के कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि नौकरी और पदोन्नति किसी जाति-वर्ग विशेष का अधिकार बन गई है। ऐसे में कोई आधुनिक समाज कैसे बचा रह सकता है? प्रगति करने की तो बात ही अलग है ।

उन्हें मदद कैसे पहुँचाई जा रही है ?

''मैं सरकारी सेवाओं में किसी वर्ग - समुदाय के लिए आरक्षण के बिलकुल खिलाफ हूं; क्योंकि सीधी सी बात है कि सेवाएँ सेवकों (कर्मचारियों) के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए हैं ।''

यह टिप्पणी काका साहेब कालेलकर की है, जो उन्होंने पहले पिछडा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अग्रसारित करते हुए पत्र में की थी ।

इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत सारे उदारवादी - उन पाखंडियों की तो बात ही अलग है, जो स्वयं को प्रगतिशील दिखाने के लिए कहीं भी झपटट् मारने के लिए तैयार रहते हैं - सिर्फ इसलिए ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि वे स्वयं को पिछडों के लिए बना प्रदर्शित करना चाहते हैं ।

यह बात हम पहले ही देख चुके हैं कि जिन वर्गों के लिए यह योजना या व्यवस्था लागू की जाती है, वे पिछडे हैं ही नहीं ।वास्तव में वे समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग हैं ।खैर, एक बार को मान लें कि हम केवल वास्तविक पिछडों या गरीबों की बात कर रहे हैं ।

एक इस्पात का कारखाना शुरू किया जाता है। इनकी (गरीबों की) मदद करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है ? यह सुनिश्चित करके कि कारखाने का कार्य सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाए, ताकि कारखाना अपने उच्चतम क्षमता स्तर पर कायम रह सके ? या उसका आधा कार्य योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर आरक्षित कर दिया जाए और वह भी ऐसे लोगों के लिए जो वह कार्य संपन्न करने की योग्यता ही नहीं रखते ? और इस प्रकार, कारखाने को चीन के छोटे-छोटे कारखानों द्वारा दिवालिएपन की स्थिति में धकेले जाने के लिए छोडकर ?

सच, मुझे तो उस समय आश्चर्य होगा, जब इस तरह का कोई कारखाना खोला जाए और उसमें आधे कार्य के लिए योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बजाय जाति के आधार पर की जाएगी और इस प्रकार कारखाने को उसके आधे क्षमता स्तर पर अटके रहने के लिए विवश कर दिया जाएगा ।

विभिन्न कंपनियों में अधिकारियों-

नौकरी एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जिसे प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करना पडे । नौकरी किसी का अधिकार नहीं बननी चाहिए । लेकिन आरक्षण के कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि नौकरी और पदोन्नति किसी जाति-वर्ग विशेष का अधिकार बन गई है। ऐसे में कोई आधुनिक समाज कैसे बचा रह सकता है? प्रगति करने की तो बात ही अलग है ।

कर्मचारियों की नियुक्ति यदि इसी तरह उनकी योग्यता के आधार पर न करके उनकी जाति को ध्यान में रखकर की जाएगी, तो आखिर विप्रो, इन्फोसिस और टी.सी.एस. आदि कंपनियों के दुनिया भर में फैले ग्राहक अपनी वस्तुओं के उत्पादन और डिजाइनिंग के लिए यहाँ क्यों आएँगे ?

1 प्रतिशत का 27 प्रतिशत

''अरूण, तुम इतने परेशान क्यों हो? केंद्र सरकार की नौकरियाँ कुल नौकरियों का केवल 1 प्रतिशत ही तो हैं । इस 1 प्रतिशत में 27 प्रतिशत का आरक्षण दे देने से कोई आफत नहीं आ जाएगी ।'' यह सांत्वना भरी टिप्पणी है तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मधु दंडवते की, जो उन्होंने वी.पी. सिंह सरकार के मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के निर्णय के खिलाफआंदोलन के चरम के दौरान उस समय की थी, जब मैं उनसे राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह के दौरान मिला था।

सचमुच, मुझे बहुत दु:ख हुआ था ।

दुख सिर्फइसलिए नहीं हुआ था कि अपनी टिप्पणी के साथ यह बात भी जोडी थी, ''हम सभी के पास तो आपके जैसा साहस नहीं हो सकता ।'' जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह मेरा उपहास ही कर रहे थे, अपनी या अपने साथियों की बात नहीं कर रहे थे ।

सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वह यह जानते हुए भी - कि सरकारी सेवाओं में आधी नौकरियाँ इस प्रकार अयोग्य और अकुशल हाथों में दे देने से पूरा सरकारी ढाँचा बुरी तरह प्रभावित होगा - ऐसा कह रहे थे । बल्कि दु:ख इसलिए हुआ था कि उनका यह तर्क बिलकुल उलटा निकला ।

आखिर देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या को 1 प्रतिशत नौकरियों का मात्र 27 प्रतिशत हिस्सा दे देने से वास्तविक सहायता कैसे मिल सकेगी ?

और तब से यही तर्क आगे बढाया जाता रहा है और राजनीतिक वर्ग व्यक्तिगत क्षेत्र में भी आरक्षण की बीमारी फैलाने के लिए कमर कस चुका है ।

समाज पर प्रभाव

इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था या सरकारी ढाँचे तक ही सीमित नहीं है। हमारा समाज भी इससे उतना ही प्रभावित हो रहा है । सरकारी ढाँचे की तरह ही हमारा समाज भी बँट गया है और चूँकि यह योजना कुछ जाति -समुदायों विशेष के हित के लिए ही है, अत: वे इस अलगाव को और बढावा ही दे रहे हैं ।

विधायिकाओं में आरक्षण - जाति के आधार पर । वोट -जाति के आधार पर । इन्हीं दो बातों से हम समझ सकते है कि आरक्षण ने किस प्रकार पूरे देश एवं समाज में जातिवाद का जहर फैला दिया है ।

समाज में अलगाव एक और प्रकार से भी हो रहा है -

* कुछ व्यक्तियों को किसी वर्ग-समूह विशेष का होने के नाते लाभ दिया जा रहा है ।
* इसलिए नहीं कि वे उस समूह के सदस्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस समूह की किसी जाति विशेष के सदस्य हैं ।
* और जो लाभ उन्हें मिल रहा है, वह उन्हें सरकारी व्यवस्था पर पकड बनाने के लिए बेहतर है ।

इन तीनों ही स्थितियों का परिणाम विघटनकारी ही है ।

जब किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए नहीं बल्कि इसलिए कुछ मिलता है कि वह किसी समूह-समुदाय विशेष का सदस्य है तो वह अपने समूह-समुदाय को मजबूत बनाने की कोशिश में ही लगा रहता है ।

जैसा कि मैंकर ऑल्सन ने अपनी पुस्तक 'द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस' में लिखा है - ऐसे समूह -समुदाय समूचे राष्ट्र के विरोधी होते हैं ।वे ऐसे कार्यों की ओर कम ही प्रवृत होते हैं, जो पूरे समाज के हित में हों । वे प्राय: ऐसे ही कार्यों की ओर प्रवृति दिखाते हैं, जो उनके अकेले के हित में हो । जब ऐसे समूहों की संख्या बढ जाती है और उनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो समाज का विकास रूक जाता है ।

इस प्रकार, समाज पाबंदियों में जकड उठता है । 1950,1960 और 1970 के दशक का ब्रिटेन । हाल ही का फ्रांस। हमारे उद्योगों में 1980 के दशक के व्यापार संघों का प्रभाव, हमारी वर्तमान सरकारी नीति पर जातीय और धार्मिक संगठनों का प्रभाव ।

....शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

To quash the 104th Constitutional Amendment Act which unconstitutionally extends the time limit of reservation in Lok Sabha & Assembly seats: SAMTA ANDOLAN

Jaipur : Samta Andolan Samiti wrote a letter to President of India, CJI of India and PMO and all Lok Sabha & Rajya Sabha Members to quash the 104th Constitutional Amendment Act which unconstitutionally extends the time limit of reservation in Lok Sabha & Assembly seats.

It is written that this is our humble submission that our Parliament has passed 104th Constitutional Amendment Act in 2019 which came in to force on 25.01.2020. This Amendment Act has further extended time limit of reservation for ten years in Lok Sabha & Assembly Constituencies.

Your Honour may very well know that this Amendment Act is compeletly illegal, unconstitutional and a fraud with the crores of nationalist voters of this country. Kindly have a look to the following legal and constitutional grounds which make this 104th Constitutional Amendment compeletly unconstitutional and ultra-vires:-

(1) This Constitutional Amendment Act has been forcefully passed in Parliament on the basis of issuance of WHIPS by various political parties. Every gentleman of this country very well knows that no political party can issue a WHIP when a Constitutional Amendment is under consideration in the Parliament because Hon'ble Supreme Court's constitutional bench has laid down this low in the matter of Kihotto Hollohon.

(2) This Amendment Act is against the fundamental right to equality guaranteed under Article 14, 15, 21 and also against the constitutional right guaranteed under Article 326 of the Constitution.

(3) This Amendment Act is against the unanimous mandate of our reverend Constituent Assembly that the reservation of seats in Lok Sabha and State Assemblies would have to automatically lapse after ten years.

(4) This Amendment Act is destroying the democratic and republic character of our country's governance system which is an integral part of basic structure of our Constitution.

(5) This Amendment Act is against the Atricle 25 of the International Covenant on Civil & Political Rights to which India is a signatory since 1979.

(6) This Amendment Act is perpetuating caste based politics in our country which is resulting in caste rivalry, caste hatred and caste based agitations in our country.

Keeping above constitutional, legal and factual grounds in mind, this is categorically clear that the 104th Constitutional Amendment Act is ultra-vires, unconstitutional and deserves to be quashed. Relevant sections of following Acts which takes their powers from the above so called 104th Constitutional Amendment Act are also null & void-ab-intio:-

(1) The Representation of Peoples Act (43/1960)- Section 3,7 Ist Schedule - Column 6 & 7, Second Schedule Column 6 & 7.

(2) The Representation of Peoples Act (43/1951)- Section 1,5 & 33.

(3) The Delimitation Act, 1972 (76/1972) - Section 5a, 5b, 9c & 9d.

(4) The Scheduled Caste & Scheduled Tribes Orders Amendment Act 1976- Section 6, 8 & 10.

It is our humble prayer that the above unconstitutional 104th Amendment Act and above mentioned all sections of different Acts/Orders gaining power from the so called 104th Constitutional Amendment Act should be quashed and set aside within seven days. Otherwise we will be constrained to have a recourse to a High Court or Supreme Court under their writ jurisdictions.

Cordial thanks for your quick and positive action. Regards.

- Samta Desk

जातिगत आरक्षण से युवा कुंठित: डॉ अनिल शर्मा

आत्महत्याओं पर समता आंदोलन की दो टूक

समता आंदोलन समिति के कोटा संभागीय अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा ने कोटा शहर में कोचिंग छात्रों में बढती आत्महत्या के कारणों पर प्रहार करते हुए कहा है कि आत्महत्याऐं रोकने के सरकारी और चिकित्सकीय प्रयास हवा में तीर छोडने जैसा है। वास्तविक समस्या जातिगत आरक्षण पर बोलने में क्या परेशानी है जिसके कारण युवा वर्ग कुंठित हो रहा है। कोटा ही क्या समूचे देश में आरक्षण से युवा प्रतिभाएं परेशान है। सरकार का ही अपनी गलत नीतियों में सुधार करना होगा।

शर्मा ने कहा कि समता आंदोलन ने हमेशा इस समस्या को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासन भी समस्या की जड पर नहीं जाना चाहता सिर्फ दिखावे की बातें कर रहा है। राजनेताओं ने हमेशा इसे सामान्य घटनाओं की तरह लिया और भुला दिया। केवल कोचिंग संस्थानों के संचालकों को दोषी ठहराने से समाधान नहीं होगा। कोचिंग प्रबंधन एक कारण हो सकता है लेकिन प्रतिभाओं का जीवन से पलायन हो और राजनेता चुप्पी साधें रहे तो समस्याएं और भी गंभीर होने वाली है। मनोवैज्ञानिक सिर्फ बीमारी का ईलाज कर सकते हैं इस सामाजिक समस्या का समाधान उनके वश का नहीं।

आत्महत्या के कारणों पर गौर किया जाये तो स्पष्ट है कि ये कोई बीमारी नही जिसका ईलाज डॉक्टर करेगा। ये समस्या है जो राजनीतिक स्वार्थ और सरकारों की विफलताओं आदि कारणों से पैदा हुई है। डॉ शर्मा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसिए लेकिन बीमारी की जड को भी पकडें और सरकार के सामने साहस के साथ कह सकें कि बीमारी का उपचार समता ही है।

अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 10 फीसदी किया जाए: सांसद

नई दिल्ली। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण को केन्द्र में साढे सात प्रतिशत से बढा कर दस फीसदी तक करने की मांग की है। साथ ही बांसवाड़ा स्थित मानगढ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा भी लोकसभा में उठाया। लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियॉ) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह बात कही।

बेनीवाल ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। मौलिक सुविधाओं से उन्हें लाभांवित करने के लिए सरकारों को योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करने की जरूरत है।

उन्होंने सिरोही जिले में हुए कार्तिक भील हत्याकांड में न्यायोचित कार्यवाही की मांग भी की।

समता व्यू

जैसी की संभावना थी ईडब्ल्यूएस का कोटा संवैधानिक होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया में अनेक बातें उठेगी। बेनीवाल का संसद में यह व्यक्तव्य उसी परीपेक्ष में देखा जा सकता है। जो आरक्षण की दृष्टि से आगे चलकर जटिलताऐं पैदा करेगा।

.... आखिर इसका जवाबदेह कौन है ?

यह हैं मुकेश जी... आपको आश्चर्य हुआ ना....ये जाति से ब्राह्मण हैं और इनका नाम है मुकेश मिश्र। बनारस में अपनी पढ़ाई.लिखाई पूरी करने के लिए हफ्ते में तीन दिन रिक्शा चलाकर धन अर्जित करते हैं। मुकेश जी बनारस में रहकर अपने एक छोटे भाई को पालिटेक्निक सिविल करवा रहे हैं। मुकेश स्वयं Net Exam निकाल चुके हैं और Economics अर्थशास्त्र विषय से अभी वर्तमान समय में PHD कर रहे हैं।

जब मुकेश मिश्र जी से पूछा गया कि आप की पारिवारिक दुर्दशा पर क्या कभी कोई सरकारी मदद आपको मिली है? जैसे जातिगत आरक्षण, जातिगत छात्रवृति, नोकरी, जातिगत फीस ओर जातिगत योजनायें..... तो उन्होंने हँस कर जवाब दिया..."क्या सर जी, ब्राह्मण हूं जन्म से... आवश्यकतानुसार श्रम कर लूंगा यह करना हमारे लिए धर्म सम्मत है। इतिहास गवाह है ब्राह्मणों ने तो भिक्षा मांग मांगकर देश का निर्माण किया है। दान ले कर दूसरों को और समाज को दान में सब कुछ दिया है। हमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। हम स्वाभिमान नहीं बेच सकते। आरक्षण के लिये गिड़गिड़ा नहीं सकते। हम मेहनत कर सकते हैं रिक्शा चलाने में अपना स्वाभिमान समझते हैं। किसी का उपकार लेकर

जीना हमें पसन्द नहीं है।"

"हम परशुराम के वंशज हैं। हम पकौड़ा तल कर अपने और अपने भाई की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। आप देखियेगा, एक दिन हम खड़े हो जायेंगे। पीएचडी पूरी करके किसी उचित स्थान पर अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे। रिक्शा भी चलाते हैं । मेहनत से पढ़ाई भी पूरी करते हैं। पीएचडी मेरी तैयार है। बस उसको टाइप वगैरह कराने के लिये थोडे धन की आवश्यकता है थोडा और रिक्शा चलाऊंगा। भाई की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। माता जी की सेवा भी करता हूं। मां को कुछ करने नहीं देता। वे बस हमें दुलार कर साहस दे देती हैं।"

"आप तो जानते ही हैं कि भारत में सवर्ण जाति का अर्थ नेताओं व सरकार की नजर में सिर्फ एक गुलाम होता है। सरकार सिर्फ दलित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करती है। मेरे साथ चलिए, मैं ऐसे हजारों सवर्ण नवयुवकों से आप को मिला सकता हूँ जो बनारस जैसे धार्मिक शहर में मजदूरी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सभी स्वाभिमान से अपना कार्य करते हैं। किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं। सभी पढ़ाई में तेज हैं। किसी प्रकार के पाखंड में नहीं जीते। अपने लक्ष्य के लिये मेहनत करते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता।आवश्यकता है लक्ष्य भेदने की। हम सब खुश हैं स्वाभिमान से जीने पर।"

मुकेश मिश्र जी आप समस्त ब्राह्मण जाति के ही नहीं हर साधनहीन नवयुवक की प्रेरणा हो... आपको नमन.. आप से मिलकर एक भावी अभिजीत बनर्जी (नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री)के दर्शन हुए साथ ही यह सोचने पर विवश हुआ कि क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर के नीले संविधान में कहीं कुछ अधूरा छूट गया है? क्या आरक्षण गरीब सवर्णों की प्रतिभा को कुंठित करने का प्रयास मात्र नहीं है... साभार . नरेंद्र शर्मा जी।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in